झारखंड सरकार

जल संसाधन विभाग।

शुद्धि पत्र सं॰–01/स्था॰(कोर्ट केश)04–08/2014:–...................../राँची,दिनांक:–...
(प्रशाखा–8)

शुद्धि पत्र

श्री घुरन उराँव, तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची को जेनासाई जलाशय योजना के आउटलेटों के पुनर्स्थापन कार्यो में बरती गई अनियमितताओं संबंधी आरोपों के लिए संचालित विभागीय कार्यवाही (विभागीय संकल्प सं॰–1684 दिनांक–29.05.10) में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत सरकार ने विभागीय आदेश सं॰–2978 दिनांक–04.04.14 द्वारा श्री उराँव के पेंशन से 5,20,000/–रू॰ की किस्तवार वसूली का दंडादेश संसूचित किया है।

(2) इस दंडादेश को संशोधित करते हुए सरकार ने श्री उराँव के पेंशन से 5,20,000/–रू॰की किस्तवार वसूली के स्थान पर इस राशि की वसूली उनकी सेवानिवृत्ति लाभों से करने का निर्णय लिया है।

अतः विभागीय आदेश संख्या–8/ज॰स॰(नि॰)राँची–24/07–2978 दिनांक–04.04.14 के दंड अंश की कंडिका (1)को संशोधित करते हुए निम्नवत् पढ़ा जाएगा–

(1) श्री उराँव के सेवानिवृत्ति लाभ की राशि से 5,20,000/–रू॰(पाँच लाख बीस हजार रूपये) की वसूली।

पूर्व के विभागीय दंडादेश की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।

ह0/–
(डॉ॰लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:–..........2194........../राँची,दिनांक:– 23-7-14

प्रतिलिपि:–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखंड, राँची/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार डोरण्डा, राँची/ जिला कोषागार पदाधिकारी, राँची/ मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/ संयुक्त सचिव (प्रबन्धन) जल संसाधन विभाग, राँची/ अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1, 8) जल संसाधन विभाग, राँची/ वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची/ श्री घुरन उराँव, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, हेहल बगीचा टोली, निकट आई॰टी॰आई॰, पो॰–हेहल, थाना सुखदेवनगर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), झारखंड, राँची से अनुरोध है कि यदि श्री उराँव के अव्यवहृत अर्जित अवकाश के समतुल्य देय राशि रू॰5,89,340/– में से वसूली की गयी राशि 5,20,000/–रू॰ श्री उराँव के पक्ष में विमुक्त नहीं किया गया है तो इस दण्ड की राशि को उक्त राशि से वसूल समझा जाय।

21/7/14

(डॉ॰लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव।